



संख्या- / जी०एस०(शिक्षा) / A4-113(P-II) / 2020

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2021

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-2250, दिनांक 28.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

2- यू०जी०सी० विनियम के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा कार्यान्वित अनुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, नवगांव माण्डुवाला, देहरादून।	बी०टैक०:-		2019-20
	1. Civil Engg.	120	
	2. Computer Science & Engg.	120	
	3. Electrical & Electronics Engg.	60	
	4. Electronics & Communication Engg.	30	
	5. Mechanical Engg.	120	
	एम०टैक०:-		
	1. Civil Engg.	18	
	2. Computer Science & Engg.	18	
	3. Electronics & Communication Engg.	18	
4. Thermal Engg.	18		
एम०बी०ए०	60		
एम०सी०ए०	30		

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान में नियामक संस्था/यू०जी०सी० के सभी मानकों को पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय, कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों अधीन तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 को संज्ञान में रखते हुए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तदनुसृत कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को अवगत कराये।

3- अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या- 2066 (1) / जी०एस०(शिक्षा) / A4-113(P-II) / 2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एन०के० पोखरियाल)

उप सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।